5 एक्सप्रेस-वे के किनारे 27 IMLC शुरू

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रॉजेक्ट्स का उद्घाटन किया

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

यूपी के 26 जिलों से गुजर रहे 5 एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर करीब 13,240 एकड़ क्षेत्रफल में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऐंड लॉजिस्टिक क्लस्टर (IMLC) की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से इन प्रॉजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एक्सप्रेस-वे को प्रदेश के इकॉनमिक ग्रोथ की बैकबोन बताते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब यूपी में एक साथ 5 एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर इतनी बड़े क्षेत्रफल में IMLC की स्थापना हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि IMLC पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। इससे न केवल वैश्विक निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार में भी इजाफा होगा। यूपी की पिछली गैर बीजेपी सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को कभी पिछड़ा माना जाता था और निवेशक आने से डरते थे वहां आज IMLC का सपना साकार हो रहा है। मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे की समीक्षा के दौरान सीएम ने सुझाव दिया कि इसका अलाइनमेंट शुक तीर्थ से भी जोड़ा जाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे।

निवेशकों को मिलेगी ये सुविधाएं : IMLC के तहत निवेश करने वालों को रियायती दरों पर प्लॉट आवंटन, लॉजिस्टिक्स की विशेष सुविधाएं, बेहतर सड़कों के साथ रेल व हवाई कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाएं, पारदर्शी भू-आवंटन की प्रक्रिया के साथ सस्ते और प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से मिलेंगे।

'नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग सेवा नहीं'

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

आउटसोर्सिंग कर्मचारियो के अधिकारो की सुरक्षा के लिए प्रदेश मे आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) बनेगा। गुरुवार को सीएम आवास पर हुई बैठक मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम के गठन को लेकर अधिकारियो को निर्देश दिए। बैठक मे बताया गया कि निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा। यह निगरानी रखेगा कि कर्मचारियो को समय पर वेतन मिले और उनका शोषण न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नियमित पदो पर कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नही ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा मुक्त न किया जाए, जब तक संबधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आउटसोर्सिंग एजेंसियो का चयन विकेंद्रकृत तरीके से होता है। समय पर वेतन न मिलना, वेतन मे कटौती, ईपीएफ/ईएसआई लाभो से वंचित रहना, पारदर्शिता की कमी और उत्पीड़न जैसी शिकायते मिलती हैं। इसमे सुधार जरूरी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे बोर्ड के डायरेक्टर और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। मंडल और जिला स्तर पर भी समितिया बनेगी। आउटसोर्स एजेंसियो का चयन कम से कम तीन साल के लिए जेम पोर्टल से किया जाएगा। चयन मे अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। निगम यह सुनिश्चित करे कि पाच तारीख तक सीधे कर्मचारियो के खाते मे उनका मानदेय पहुंच जाए। ईपीएफ और ईएसआई की रकम समय से जमा हो। सभी नियुक्तियो मे आरक्षण के नियमो का पालन किया जाए। चयन मे निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओ को प्राथमिकता दी जाएगी।